(5)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/102

उस्मान गनी आत्मज अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 20 राजीव कॉलोनी नैनवां जिला बून्दी राज0

––अपीलान्ट

बनाम

1. कजोड़ी बाई पत्नी स्वर्गीय प्रभू जाति धाकड़
2. महावीर प्रसाद आत्मज स्वर्गीय प्रभू जाति धाकड़
3. मांगीलाल आत्मज भवाना जाति धाकड़ निवासीगण वार्ड नम्बर 14, नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी
4. रूकमणी पुत्री प्रभू पत्नी पप्पू जाति धाकड़ निवासी नैनवां हाल निवास ग्राम गुढ़ा देव जी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
5. राधा बाई पुत्री प्रभू पत्नी महावीर जाति धाकड़ निवासी नैनवां हाल निवास ग्राम रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी
6. राधाकिशन आत्मज गोपाल जाति धाकड़ निवासी भावपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
7. पंकज जैन आत्मज महावीर प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 09, नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
8. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री वहीद अहमद शेख, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 20.01.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 134/2021 में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2023 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम नैनवां प्रथम तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 84 पुराना 663 के अनुसार खसरा संख्या 445 रकबा 1.1002 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल लगानी 1.65/– रूपये स्थित है। ग्राम नैनवां प्रथम तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 86 पुराना 664 के अनुसार खसरा संख्या 550 रकबा 1.6180 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल लगानी 1.62/– रूपये स्थित है। यह कि ग्राम नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 85 पुराना 662 के अनुसार खसरा संख्या 553 रकबा 1.8850 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 554 रकबा 1.7798 किस्म बारानी तृतीय कुल किता 2 कुल रकबा 3.6648 हेक्टेयर कुल लगानी 3.67/– रूपये स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादिया संख्या 1 कजोडी की संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 2 महावीर प्रसाद का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 3 मांगीलाल का संयुक्त हिस्सा 1/20, वादिया संख्या 4 रूकमणी का संयुक्त हिस्सा 9/80 वादिया संख्या 5 राधाबाई का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 6 राधाकिशन का संयुक्त हिस्सा 157/500 एवं प्रतिवादी संख्या 1 पंकज जैन का संयुक्त हिस्सा 93/500 तथा स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में वादिया संख्या 1 कजोडी की संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 2 महावीर प्रसाद का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 3 मागीलाल का संयुक्त हिस्सा 1/20, वादिया संख्या 4 रूकमणी का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादिया संख्या 5 राधाबाई का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 6 राधाकिशन का संयुक्त हिस्सा 157/500 एवं प्रतिवादी संख्या 1 पंकज जैन का संयुक्त हिस्सा 93/500 तथा स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि की वादिया संख्या 1 कजोड़ी का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 2 महावीर प्रसाद का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 3 का संयुक्त हिस्सा 1/20, वादिया संख्या 4 रूकमणी का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादिया संख्या 5 राधाबाई का संयुक्त हिस्सा 9/80, वादी संख्या 6 राधाकिशन का संयुक्त हिस्सा 8/125 एवं प्रतिवादी संख्या 1 पंकज जैन का संयुक्त हिस्सा 93/500 तथा प्रतिवादी संख्या 7 उस्मान गनी का संयुक्त हिस्सा 1/4 स्थित है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमियों का विभाजन करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से मना कर दिया जिससे वादीगण को अपने खाते की भूमि का सदुपयोग करने सही रूप से कृषि कार्य करने एवं खेत का विकास करने तथा ऋण आदि लेने में काफी परेशानी आती है। प्रतिवादीगण दिनांक 03/09/2021 को भी बंटवारा करने से मना कर दिया था इस कारण वाद कारण दिनांक 03/09/2021 को उदित हुआ। अत वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि विवादित भूमियों का विधिवत विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर किया जाकर खाते अलग अलग किये जाए। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से

पाबन्द किया जावे कि वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमियों पर अनुचित हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से ऐसा करावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2022 को वादग्रस्त भूमि के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा दिनांक 03.07.2023 को विवादित भूमि के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2023 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.09.2022 को अपीलांट के बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के आधार पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दिनांक 02.12.2022 को राजीनामे के अनुसार वाद में निर्णयव डिक्री पारित कर दी। प्रार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.11.2022 की जानकारी मार्च 2023 में हल्का पटवारी के होने पर प्रार्थी द्वारा निर्णय व डिक्री की नकल हेतु दिनांक 01.03.2024 को आवेदन किया। निर्णय एवं डिक्री एवं पत्रावली की नकल प्रार्थी को दिनांक 07.03.2024 को प्राप्त हुई तब प्रार्थी को सर्वप्रथम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.11.2022 की जानकारी हुई। नकल मिलने की जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की गई है। अन्त में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, नैनवा का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2023 कानूनी तथ्यो व विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो० संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में निर्णय व पारित करने में कानूनी भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2023 निरस्त होने योग्य है। रेस्पो० संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.टि. एक्ट के तहत् अपीलांट उस्मान गनी, पकंज जैन एवं तहसीलदार को प्रतिवादीगण बनाकर प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलांट के विरुद्ध उसकी तामिल बनाकर एक पक्षीय कार्यवाही कर ली। दिनांक 02.11.2022 को रेस्पो. संख्या 1 लगायत 6 व रेस्पो. संख्या 7 द्वारा आपस में मिलीभगत करके राजीनामा करके सयुंक्त कृषि भूमि का बंटवारा करवा लिया। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में अपीलांट उस्मान गनी के हिस्से व खाते की भूमि ख.स. 553 व 554 को सम्मिलित करते हुए दोनो खसरा नम्बरो के मध्य भाग की भूमि 5 बीघा 11 बिस्वा अंकित की थी, जो गलत है। अपीलांट का भूमि खसरा नम्बर 553 व 554 के मध्य कब्जा न होकर के अपीलांट का भूमि खसरा संख्या 553 व 554 के फ्रंट पर भावपुरा रोड़ के सहारे उत्तर से दक्षिण कब्जा है। अपीलांट के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि की चतुर्थ सीमा इस प्रकार से है पूर्व में अपीलांट के खाते हिस्से की कृषि भूमि के उपरांत पकंज जैन के खाते व हिस्से की भूमि, पश्चिम में :– भावपुरा जाने वाला रोड़, उत्तर में कजोड बाई के हिस्से की भूमि व दक्षिण में अन्य की रेस्पो. संख्या 1 लगायत 6 व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा वाद पत्र में गलत तथ्य अंकित करके अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, नैनवा के यहाँ से निर्णय व डिकी पारित करवायी थी जो मौके की स्थिति के अनुसार नहीं होकर निरस्त होने योग्य है। उक्त प्रकरण के सबंध में वास्तविक तथ्य है कि अपीलांट द्वारा भूमि खसरा संख्या 553 रकबा 11 बीघा 13 व भूमि खसरा संख्या 554 रकबा 11 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से सुरेन्द्र सुखवानी आ. ठाकुरदास एवं आबिद हुसैन आ. हमीद मोहम्मद के खाते व कब्जे काश्त की भूमि 1/4 हिस्से की भूमि दिनांक 16.02.2016 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कय कर कब्जा प्राप्त किया था। पूर्व खातेदारान् के कब्जे में भूमि खसरा संख्या 553, 554 की फ्रंट की भावपुरा रोड़ के पास वाली भूमि थी, जिस पर पूर्व खातेदारान् द्वारा डोल (सीमाबंदी) लगाया हुआ था, साथ ही उक्त भूमि पर करीब 10 गुणा 10 फीट का एक कमरा बना हुआ है। सन् 2016 से ही अपीलांट का भूमि खसरा संख्या 553 व 554 के फ्रंट हिस्से पर कब्जा है। अपीलांट की भूमि के सीमाबंदी के पश्चात् पूर्व दिशा में रेस्पो. संख्या 7 पकंज जैन की खरीदशुदा भूमि है। रेस्पो. संख्या 1 लगायत 6 व रेस्पो. संख्या 7 द्वारा आपस में मिलीभगत करके उक्त वाद में राजीनामा के आधार पर एक पक्षीय निर्णय व डिकी पारित करवा ली जो कानूनी तथ्यो एवं मौके की स्थिति के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2022 को निर्णय व डिक्री पारित करने के पूर्व हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट तलब नही की। रेस्पो. संख्या 1 लगायत 6 व 7 के राजीनामे के आधार पर अपीलांट के हितो के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित कर दिनांक

03.07.2023 को फाईनल डिक्री पारित कर दी जो कानूनी तथ्यो एवं विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2022 को अपीलांट के विरूद्ध उसकी प्रोपर रूप से तामिल नही होने के उपरांत भी उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 02.11.2022 को प्रारंभिक डिक्री एवं दिनांक 03.07.2023 को अंतिम डिक्री पारित किये जाने में कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त नही किया गया तो मौके पर अनावश्यक विवाद होगा और अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय, नेंनवा के निर्णय व डिकी दिनांक 03.07.2023 को निरस्त फरमाई जाकर उक्त वाद में अपीलांट को सुनवाई जवाब का समुचित अवसर देकर वाद का पुनः निर्णय करने हेतु पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड की जावे।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है इस कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.07.2023 की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.09.2022 में प्रतिवादी संख्या 2 अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश अंकित है। अतः हमारे मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.09.2022 में प्रतिवादी संख्या 2 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किए जाने का आदेश अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को दिनांक 23.08.2022 को जारी सम्मन नोटिस सलंग्न है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 22.09.2022 अंकित है। उक्त सम्मन नोटिस के पृष्ठ भाग पर अदम तामील पेश

होने की रिपोर्ट का अंकन है। अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 22.09.2022 को उपस्थित होने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2022 को जारी सम्मन नोटिस अदम तामील प्राप्त होने के बावजूदभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से तामील होना स्वीकार करते हुए अपीलांट को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना मानकर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किए जाने का आदेश प्रदान किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की विधिवत रूप से तामील करवाया जाना कानूनन आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की सम्यक रूप से तामील करवाये बिना ही बावजूद सूचना अनुस्थित होना मानते हुए अपीलांट की अनुपस्थिति में राजीनामे के आधार पर प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2023 पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्राकृतिक न्याय से वंचित रखते हुए अपीलांट की अनुपस्थिति में राजीनामें के आधार पर निर्णय पारित किया गया है अतः हमारे मत में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 134/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2023 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.02.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा